

## GST कानून बनाने की राज्यों की शक्ति

### प्रलिमिस के लिये:

GST, GST परिषद, सर्वोच्च न्यायालय

### मेन्स के लिये:

सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्दधी संघवाद, जीएसटी की चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र की भलाई के लिये "सहकारी संघवाद" के महत्व का समर्थन करते हुए अपने एक नियम में कहा कसिंघ एवं राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर (GST) पर कानून बनाने के लिये "एक समान और अद्वृतीय शक्तियाँ" हैं। तथा जीएसटी परिषद की सफिराई उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय का नियम गुजरात उच्च न्यायालय के उस नियम की पुष्टी करते हुए आया जसिमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों पर समुद्री माल के लिये एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) नहीं लगा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि माल आयात के मामले में भुगतान कर्त्ता गए समुद्री माल पर GST असंवैधानिक है।

### SC का नियम:

- GST कानून बनाते समय केंद्र और राज्य "स्वायत्त, स्वतंत्र तथा यहाँ तक कि प्रतिस्पर्दधी इकाइयाँ" हैं। संघीय इकाइयों के एकीकृत दृष्टिकोण के कारण सहकारी संघवाद को 'कठोर संघवाद' (Marble Cake) की तरह माना जाता है।
- GST परिषद की सफिराई संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये सफिराई प्रकृति में अनुशंसात्मक होती है।
- ये सफिराई केवल प्रेरक मूल्य की होती है अरथात् संघ और राज्यों दोनों को GST पर कानून बनाने की समान शक्तिप्रदान की जाती है, अतः इन कानूनों को बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा।
- इस बात पर जोर दिया गया कि संघवाद का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को "समान इकाइयों" के रूप में मानता है।
  - यह GST पर कानून बनाने के लिये केंद्र और राज्यों को एक साथ शक्तिप्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 279A, GST परिषद के गठन में यह बताता है कि निन्न तो केंद्र और न ही राज्य वास्तव में दूसरे पर निभर हैं।
- माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन स्थितियों से निपट सके जहाँ केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव होने पर GST परिषद उन्हें उचित सलाह दे सके।

### सहकारी और प्रतिस्पर्दधी संघवाद:

- सहकारी संघवाद:
  - केंद्र और राज्य एक कृष्णतजि संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक जनहति में 'सहयोग' करते हैं।
  - यह राष्ट्रीय नीतियों के नियमानुवयन में राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
  - संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संवधान की अनुसूची- VII में निर्दिष्ट मामलों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये बाध्य हैं।
- प्रतिस्पर्दधी संघवाद:
  - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध ऊर्ध्वाधर होते हैं, जबकि सभी राज्य सरकारों के बीच प्रस्तुत संबंध कृष्णतजि होते हैं।
    - 1990 के दशक के आरंभिक सुधारों के बाद भारत में प्रतिस्पर्दधी संघवाद के इस विचार को बल मिला।
    - एक मुक्त बाजार अरथव्यवस्था में राज्यों की निधि, उपलब्ध संसाधन आधार और उनके तुलनात्मक लाभ सभी प्रतिस्पर्दधी की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि बिहारी वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच मौजूदा असमानताओं और असंतुलन को बढ़ावा दिया है।
  - प्रतिस्पर्दधी संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतिस्पर्दधा करने की आवश्यकता होती है।
    - धन और निवेश को आकर्षित करने के लिये राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्दधा करते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर

विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

- प्रत्येक संघवाद **भारतीय संविधान की मूल संरचना** का हसिसा नहीं, बल्कि यह कार्यकारणी शक्तियों के नियन्त्रण परंपरा का हसिसा है।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST):

- GST एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूलयवरदधन पर लगाया जाता है।
- GST पूरे देश हेतु एक अप्रत्यक्ष कर है।
- GST परिषिद्ध महत्वपूर्ण नियन्त्रण लेने वाली संस्था है जो GST के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियन्त्रण लेगी।

**What next?**

**FOR BUSINESSES**

- Goods importers get some relief as they are no longer liable to pay GST on ocean freight charges; could seek refunds for past payments

**FOR THE CENTRE AND STATES**

- Finance Ministry believes SC order only

reiterates the spirit in which the GST Council is functioning

- All but one decision of the Council has been reached by consensus so far
- The Council may be summoned soon to discuss SC verdict's implications

**An administrative body created by the Constitution cannot have an overriding right on the legislature**

TARUN BAJAJ, Revenue Secretary

**The Centre had been arbitrarily imposing its decisions on States... We hope the verdict would pave the way for States to protect rights**

K.N. BALAGOPAL, Kerala Finance Minister

## आगे की राह

- नियन्त्रण GST के तहत उन प्रावधानों के परावृश्य को बदल सकता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- जैसा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी परिषिद्ध की सफिरशियों का केवल प्रेरक मूल्य है, प्रावधानों के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। यह जीएसटी परिषिद्ध की सफिरशियों के आधार पर ऐसे प्रावधान, जो संवेदनकिता को चुनौती देते हैं, न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

[GST Concept-1 \(Hindi\) - Why was GST required? By : Dr. Vikas Divyakirti](#)

## वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

- छलिका उत्तरा हुआ अनाज
- मुर्गी के अंडे पकाए हुए
- संसाधनी और डिवाबंद मछली
- विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन सा/से जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1  
(b) केवल 2 और 3  
(c) केवल 1, 2 और 4  
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

व्याख्या:

- जनता को लाभ पहुँचाने के लिये कुछ वस्तुओं को शून्य या 0% जीएसटी दर के तहत रखा जाता है। खाद्य सब्जियों, जड़ और कंद जैसी वस्तुओं पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है; अनाज; मछली (संसाधनी खाद्य पदारथ; ताजे फल और सब्जियाँ (संसाधनी खाद्य पदारथ के अलावा); मांस (संसाधनी खाद्य पदारथ के अलावा और यूनिट कंटेनर में रखा गया); गन्ना गुड़ (गुड़); नारियल पानी; रेशमकीट कोकून; कच्चा रेशम, रेशम अपशिष्ट; ऊन, कारडेड; गांधी टोपी में प्रयुक्त कपास; खादी यारन में प्रयुक्त कपास; नारियल, कॉर्यर फाइबर; जूट फाइबर कच्चा या संसाधनी लेकिन काता

हुआ नहीं; पूजा सामग्री; जीवति जानवर (घोड़ों को छोड़कर); के सभी सामान, बीज की गुणवत्ता; कॉफी बीन्स, भुना हुआ नहीं; असंसाधति हरी चाय की पततियाँ; ताज़ा अदरक, ताज़ी हल्दी (संसाधति रूप के अलावा); मानव रक्त और इसके घटक; सभी प्रकार के ग्रेभनरिधक; जैविक खाद, बरांड नाम के अलावा; कुमकुम, बट्टी, सधूर, आलता; जलाऊ लकड़ी या ईंधन की लकड़ी; लकड़ी का कोयला; पान के पत्ते; न्यायकि, गैर-न्यायकि स्टाम्प पेपर, अदालती शुल्क टकिट जब सरकारी खजाने या अधिकृत वकिरेताओं द्वारा बेचे जाते हैं; डाक आइटम जैसे लफिका, पोस्ट कार्ड आदि सरकार द्वारा उपया नोट रजिस्ट्रेशन को बेचे हुए और बेक, मुद्रति पुस्तकें, जिसमें बरेल पुस्तकें, समाचार पत्र, मानवतिर शामलि हैं, मटिटी के बर्तन और मटिटी के दीये; चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियाँ को छोड़कर); मैन्युअल रूप से संचालित या पशु संचालित कृषि उपकरण; हाथ के औजार, जैसे- फावड़े; हथकरघा; अंतर्रक्षियान; कान की मशीन।

- दिये गए प्रश्न में संसाधति और डिविबांद मछली को छोड़कर सभी उल्लिखित वस्तुओं को जीएसटी के तहत छूट में शामलि किया गया है अतः वकिलप C सही है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

### फोस्टरगि इफेक्टवि एनर्जी ट्रांज़िशन 2022

#### प्रलिमिस के लिये:

वशिव आरथिक मंच, ऊर्जा संक्रमण।

#### मेन्स के लिये:

सुचारू ऊर्जा संक्रमण के लिये आगे की राह

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वशिव आरथिक मंच (WEF)** ने 'फोस्टरगि इफेक्टवि एनर्जी ट्रांज़िशन 2022' नाम से एक रपोर्ट जारी की है, जो प्रयावरण की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा न्याय तथा सामरथ्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक अनुकूलति ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा त्वरित कार्रवाई का आहवान करती है।

#### रपोर्ट के प्रमुख निषिकरण:

- ऊर्जा संक्रमण बढ़ते जलवायु परविरतन की परस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रहा है और **युक्रेन में युद्ध** के परिणामस्वरूप ऊर्जा की मांग, ईंधन आपूरतिबाधाओं, मुद्रास्फीति के दबावों एवं पुनः रूपांतरति ऊर्जा आपूरति शृंखलाओं में महामारी के बाद हाल के जटिल व्यवधानों ने इस संक्रमण को और भी चुनौतिपूरण बना दिया है।
- उच्च ऊर्जा की कीमतें, ऊर्जा आपूरतिकी कमी का जोखमि और **जीवाशम ईंधन** की बढ़ती मांग एक साथ ऊर्जा सामरथ्य, ऊर्जा सुरक्षा एवं पहुँच तथा स्थिरता को चुनौती दे रही है।
- कफियती ऊर्जा आपूरतिक पहुँच में कमी न्यायोचित परविरतन के लिये एक प्रमुख खतरे के रूप में उभरी है।
- औद्योगिक गतविधियों मानवजनति उत्सर्जन की तुलना में 30% अधिक उत्सर्जन करती है, फरि भी कई उद्योगों को कार्बनीकरण के लिये कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ईंधन आयात:** उन्नत अरथव्यवस्था वाले 34 देशों में से 11 अपने ईंधन आयात के 70% से अधिक के लिये केवल तीन व्यापार भागीदारों पर निभर हैं।

#### अनुशंसाएँ:

- जलवायु प्रतिविद्धताएँ और दीर्घकालकि दृष्टिकोण:**
  - अधिक-से-अधिक देशों को बाध्यकारी जलवायु प्रतिविद्धताएँ अपनाने की आवश्यकता है, वहीं घरेलू और क्षेत्रीय ऊर्जा प्रणालियों के लिये दीर्घकालकि दृष्टिकोण का निर्माण करने **डीकारबोनाइज़ेशन** परियोजनाओं हेतु नजी क्षेत्र के निविशकों को आकर्षित करने एवं उपभोक्ताओं और कार्यबल को समायोजित करने में सहयोग की आवश्यकता है।
- संक्रमण की अनविरायता पर समग्र दृष्टिकोण:**
  - इस चरण के माध्यम से संक्रमण की गतिको बनाए रखने के लिये प्रयाप्त सक्षम और समरथन तंत्र का विकास करना महत्त्वपूर्ण है।
  - वर्तमान में पहले से कहीं ज्यादा समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तीन संक्रमण अनविरायताओं- ऊर्जा कीवहनीयता, उपलब्धता और स्थिरता का त्वरित गतिसे समवर्ती रूप से वितरण करता हो।
- कुशल उपभोग और व्यावहारिकि हस्तक्षेप को प्रांतसाहिति करना:**
  - उच्चति समरथन उपायों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिये कार्रवाई आवश्यक है, जिससे कुशल उपभोग को प्रांतसाहिति

- कथिया जा सके।
- व्यावहारिक हस्तक्षेप और चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए घरेलू एवं व्यवसायिक दोनों स्तरों पर इसमें समान रूप से सहायता कर सकती है।
- उर्जा विविधिता और सुरक्षा:**
  - दोहरा विविधिकरण (आपूर्ति सिरोत और आपूर्ति भिशण) देशों की उर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने का प्रमुख साधन है।
  - अल्पावधि में आयात भागीदारों के पारस्थितिकी तंत्र में विविधिता लाने और लंबी अवधि में कम कार्बन विकल्पों के साथ घरेलू उर्जा के पोर्टफोलियो में विविधिता लाने से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।
- आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप और मांग-पक्ष क्षमताएँ:**
  - आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों को मांग-पक्ष क्षमता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।
  - वर्तमान उर्जा बाज़ार की अस्थिरता और सुरक्षा बाधाएँ स्वच्छ उर्जा की मांग को बढ़ाकर तथा औद्योगिक एवं अंतमि उपभोक्ताओं दोनों से अधिक कुशल उर्जा खपत को प्रोत्साहित कर संक्रमण को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करती हैं।
- नियामक ढाँचा:**
  - आवश्यक कार्रवाइयों और नविशों के लिये नियामक ढाँचे को मजबूत करने की आवश्यकता है।
  - कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचे में जलवायु प्रतिबिधिताओं को शामिल करने से न केवल यह सुनिश्चित होगा कि ये प्रतिबिधिताएँ राजनीतिक दबावों को सहन कर सकती हैं, बल्कि दीर्घकालिक कार्यान्वयन प्रयासों को विनियमित करने के लिये प्रवर्तन तंत्र भी प्रदान करती हैं।
- स्वच्छ उर्जा की मांग:**
  - स्वच्छ उर्जा की मांग कम उत्तराधिकारी वाले उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक परियोजनाओं और नविश को बढ़ावा देने वाला एक अनिवार्य कारक साबित हो सकता है।

## वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम:

- परिचय:**
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक गैर-लाभकारी स्वासि संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जनिवा (स्विट्जरलैंड) में हुई थी।
  - स्वासि सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मशिन:**
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थितियों सुधार के लिये प्रतिबिधि है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष:** क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - उर्जा संकरण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिसिप्रदातामत्ता रपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और प्रयटन रपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

## वर्गीकृत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन वशिव के देशों की 'ग्लोबल जॉर्डर गैप इंडेक्स' रैंकिंग जारी करता है? (2017)

- (A) वशिव आरथिक मंच  
(B) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषिद  
(C) UN वुमन  
(D) वशिव स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: A

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रपोर्ट, वशिव आरथिक मंच (World Economic Forum's- WEF) द्वारा जारी की जाती है, यह स्वास्थ्य, शिक्षा, अरथव्यवस्था और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगतिका आकलन कर वशिव के देशों की रैंक जारी करता है। वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हतिधारकों द्वारा वशिष्ट आरथिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जा सकता है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रपोर्ट, 2021 ने चार वषियगत आयामों में 156 देशों की लैंगिक समानता की दशा में उनकी प्रगतिका आकलन किया: आरथिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य व उत्तराधिकारी तथा राजनीतिक अधिकारता। इसके अलावा इस साल के संस्करण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित कौशल लिए अंतराल का अध्ययन किया गया।
- WEF वैश्विक लैंगिक अंतराल रपोर्ट-2021 में भारत 140वें स्थान पर है। अतः विकल्प (A) सही है।

प्रश्न. 'ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस इंडेक्स' में भारत की रैंकिंग कभी-कभी खबरों में देखने को मलिती है। नमिनलखिति में से कसिने उस रैंकिंग की घोषणा की है? (2016)

- (a) आरथिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
- (b) विश्व आरथिक मंच
- (c) विश्व बैंक
- (d) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

उत्तर: C

- ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस इंडेक्स उप-राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर 190 अर्थव्यवस्थाओं तथा चयनित शहरों में व्यापार नियमों व उनके प्रवरतन के उद्देश्यपूर्ण उपाय प्रदान करता है। इसे विश्व बैंक द्वारा तैयार एवं जारी किया जाता है। अतः विकल्प (C) सही है।
- वर्ष 2002 में शुरू किया गया डूइंग बज़िनेस प्रोजेक्ट घरेलू सूक्ष्म और मध्यम आकार की कंपनियों को देखता है तथा उनके जीवन चक्र के माध्यम से उन पर लागू होने वाले नियमों का आकलन करता है।
- नवीनतम डूइंग बज़िनेस रपोर्ट (DBR 2020) में भारत 63वें स्थान पर था।

## स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

### जीनोम एडटिड पौधों के सुरक्षा आकलन हेतु दशा-निर्देश, 2022

#### प्रलिमिस के लिये:

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जीएमओ, जीनोम एडटिडि, डीबीटी, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें

#### मेन्स के लिये:

जेनेटिक इंजीनियरिंग

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलों में अनुसंधान के लिये मानदंडों को आसान बनाने और फसलों के प्रोफाइल को बदलने के लिये विदेशी जीन का उपयोग करने की चुनौतियों से बचने हेतु दशा-निर्देश जारी किये हैं।

- इससे पहले सरकार ने [जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति \(GEAC\)](#) में बोझलि GMO (आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव) विनियमन के बनि जीनोम-एडटिड पौधों की अनुमति दी है।


#### दशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ:

- अनुमोदन प्राप्त करने से शोधकरताओं को छूट:
  - यह उन शोधकरताओं को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट देता है जो पौधे के जीनोम को संशोधित करने के लिये [जीन-एडटिडि तकनीक](#) का उपयोग करते हैं,
  - GEAC जीएम पौधों में अनुसंधान का मूल्यांकन करता है और कृषिक्षेत्र में उनके उपयोग की सफारिश करता है या अस्वीकृत करता है।
    - हालाँकि अंतमि नरिण्य पर्यावरण मंत्री के साथ-साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है जहाँ इस प्रकार की कृषि की जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस छूट को मंजूरी दे दी है।
  - ये दशा-निर्देश जीनोम एडटिडि प्रौद्योगिकियों के सतत उपयोग के लिये एक रोडमैप प्रदान करते हैं और पौधों की जीनोम एडटिडि संबंधी अनुसंधान एवं विकास व संचालन में लगे सार्वजनिक तथा नजीरी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों पर लागू होते हैं।
- दशा-निर्देशों से संबंधित मुद्दे:
  - प्रायः GM पौधे जिनमें जीनोम एडटिडि की गई हैं, में ट्रांसजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है या कसी अन्य प्रजाति के जीन को उस पौधे में जोड़ा जाता है, जैसे कबीटी-कॉटन, जिसमें पौधे को कीट के हमले से बचाने के लिये मट्रिटी के जीवाणु जीन का उपयोग किया जाता है।
  - इस पद्धति के बारे में चत्ति यह है कि जीन प्रभाव आस-पास के उन पौधों में भी फैल सकते हैं, जिनमें इस तरह के प्रभाव की आवश्यकता नहीं है और इसलिये ऐसे आवेदन विविदास्पद रहे हैं।

## जीनोम एडिटिंग:

### परचियः

- जीनोम एडिटिंग GM फसलों की तरह बाहरी जीनों को सम्मलिति कर्या बनिए पौधों के स्वामतिव वाले जीन में संशोधन को सक्षम बनाता है।
- जीनोम-संपादित कसिमों में कोई विदेशी **DNA** नहीं होता है और यह पारंपरिक पौधों के प्रजनन के तरीकों या प्राकृतिक रूप से होने वाले उत्परविरतन का उपयोग करके वकिसति फसलों से अलग है।



### जीनोम एडिटिंग की विधियाँ:

- जीनोम एडिटिंग के लिये कई दृष्टिकोण वकिसति कर्या गए हैं। इसमें से एक मुख्य तकनीक को **CRISPR-Cas9** कहा जाता है।
  - CRISPR-Cas9 का वसितृत नाम “क्लस्टरड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंग्रोमकि रपीटस् एंड क्रिस्पर एस्ट्रेटिटिड प्रोटीन-9” है।
  - इस तकनीक ने पादप प्रजनन में वभिन्न संभावनाओं को खोल दिया है। इस तकनीक का उपयोग करके कृषि वैज्ञानिक अब जीन अनुक्रम में वशिष्ट लक्षणों को सम्मलिति करने हेतु जीनोम की एडिटिंग कर सकते हैं।
  - एडिटिंग की प्रकृति के आधार पर संपूर्ण प्रक्रया को तीन शरणयों में बाँटा गया है- **SDN1, SDN2** और **SDN3**।
    - साइट डायरेक्ट न्यूक्लीज़ (SDN) 1** विदेशी आनुवंशिकि सामग्री के प्रवेश के बनिए ही छोटे सम्मलिन/वलोपन के माध्यम से मेजबान जीनोम के DNA में प्रविरतन का का सूत्रपात करता है।
    - SDN2** के तहत एडिटिंग में वशिष्ट प्रविरतनों की उत्पत्ति हेतु एक छोटे DNA टेम्पलेट का उपयोग करना शामलि है। इन दोनों प्रक्रयाओं में विदेशी आनुवंशिकि सामग्री शामलि नहीं होती है और अंतमि प्रणाली पारंपरिक नस्ल वाली फसल की कसिमों के समरूप ही होता है।
    - SDN3** प्रक्रया में बड़े DNA तत्त्व या विदेशी मूल के पूरण लंबाई वाले जीन शामलि होते हैं जो इसे आनुवंशिकि रूप से संशोधति जीवों (GMO) के विकास के समान बनाता है।

### वैश्वकि वकिसः:


- अधिकांश फसलों के पौधों में जीनोम एडिटिंग का उपयोग कर्या जा रहा है जिसके लिये आंशकि या पूरण जीनोम अनुक्रम उपलब्ध है और 25 देशों में लगभग 40 फसलों में इस तकनीक को लागू कर्या जा रहा है।
- अमेरिका और चीन चावल, मक्का, सोयाबीन, कैनोला तथा टमाटर जैसी फसल कसिमों को वकिसति करने के लिये इस तकनीक के उपयोग में अग्रणी हैं, जो जलवायु प्रविरतन से उत्पन्न होने वाली जैवकि और अजैवकि समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

## जीन एडिटिंग और जेनेटकिली मॉडिफाइंग में अंतरः

- आनुवंशिकि रूप से संशोधति फसलों और जानवरों के नरिमाण के लिये वैज्ञानिक आमतौर पर एक जीव से एक जीन को हटा देते हैं तथा इसे दूसरे जीव में यादृच्छिकि रूप से जोड़ देते हैं।
  - एक प्रसदिध आनुवंशिकि रूप से संशोधति प्रकार की फसल बीटी मक्का और कपास है, जहाँ एक जीवाणु जीन जोड़ा गया था जो पौधे के उस हस्से में कीटनाशक विषिक्त पदारथ पैदा करता है, जहाँ कीट के उत्पन्न होने का खतरा रहता है, इसे खाने से कीट की मृत्यु हो जाती है।
- जीन एडिटिंग नए विदेशी जीन की शुरुआत के बजाय जीवित जीव के मौजूदा डीएनए में छोटा, नियंत्रित प्रविरतन है।
  - यह पता लगाना लगभग असंभव है कि किसी जीव के डीएनए को एडिट कर्या गया है या नहीं क्योंकि प्रविरतन स्वाभाविक रूप से होने वाले उत्परविरतन से अज्ञेय हैं।

## GMOs


**Technique:** a foreign gene is inserted into the DNA strand.



**Result:** the crop takes on improved characteristics associated with the new gene and the genetic modification can be detected through tests.

## CRISPR gene editing

**Technique:** gene is cut and its DNA is modified.



**Result:** the crop's DNA is changed, but tests cannot distinguish the genetically engineered crop from traditional techniques.

## जीनोम तकनीक का महत्वः

- रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधारः
  - इस प्रौद्योगिकी में काफी संभावनाएँ हैं, यह तिलहन और दलहनी फसलों की कसिमों में सुधार लाने तथा बीमारियों, कीड़ों या कीटों के लिये प्रतिरोधी बनाने के साथ ही सूखे, लवणता एवं चरम गर्मी के प्रतिस्थिति के गुण विकसित करेगी।
- फसल कसिमों का विकासः
  - पारंपरिक प्रजनन तकनीक को कृषि फसल की कसिमों को विकसित करने में 8 से 10 साल लगते हैं, जबकि जीनोम संपादन द्वारा इसे दो से तीन साल में किया जा सकता है।

## जीनोम एडिटिंग तकनीक की समस्याएँः

- विश्व भर में जीएम फसलें चरचा का विषय रही हैं, कई प्रयावरणवदिओं ने जैव सुरक्षा और अपर्याप्त आँकड़े के आधार पर इसका वरिष्ठ किया है। भारत में जीएम फसलों की शुरुआत शरमसाध्य प्रक्रिया है जिसमें जाँच के कई स्तर शामिल हैं।
  - अब तक एकमात्र फसल जो नियमित लालफीताशाही की बाधाओं को पार कर चुकी है, वह है बीटी कपास।
- भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा जीएम फसलों तथा जीनोम एडिटिड फसलों के बीच रेखा खींचने में तेज़ी देखी गई है। बाद में उन्होंने बताया कि उनमें कोई विदेशी आनुवंशिक सामग्री नहीं है जो उन्हें पारंपरिक संकरों से अप्रभेद्य बनाती है।
  - विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने जीनोम-एडिटिड फसलों को जीएम फसलों के रूप में वर्गीकृत किया है। अर्जेंटीना, इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में जीनोम-एडिटिड फसलों के लिये उदार नियम हैं।
- जीन एडिटिंग तकनीक जिसमें जीन के कार्य को बदलकर "बड़े और अनपेक्षित परिणाम" पैदा कर सकते हैं, पौधों की "विशिक्तता और एलर्जी" को भी बदल सकते हैं।

## आगे की राह

- जीनोम प्रौद्योगिकी के संबंध में इस तरह की नई प्रगतिके समक्ष घरेलू और नरियात उपभोक्ताओं के लिये नियमित व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ तरक्सियत बनाने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी अनुमोदन को सुव्यवस्थिति किया जाना चाहयि और अनुसंधान आधारित नियमों को लागू किया जाना चाहयि।
- सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित करने के लिये कठोर नियमों की आवश्यकता के साथ-साथ अवैध जीएम फसलों के प्रसार को रोकने के लिये कानूनों के प्रवर्तन को गंभीरता से लिया जाना चाहयि।

## विवित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत में कृषि के संदर्भ में अक्सर चरचा में रहने वाली 'जीनोम अनुक्रमण' की तकनीक को नकिट भविष्य में कसि प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? (2017)

- जीनोम अनुक्रमण का उपयोग वभिन्न फसल पौधों में रोग प्रतिरोधक व सूखा प्रतिरोधी क्षमता के विकास के लिये एवं आनुवंशिक मारकरों की पहचान करने हेतु किया जा सकता है।
- यह तकनीक फसली-पौधों की नई कसिमों को विकसित करने में लगने वाले समय को कम करने में सहायता करती है।
- इसका उपयोग फसलों में परिषोषी-रोगजनक संबंधों को समझने के लिये किया जा सकता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- चीन के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2002 में चावल के जीनोम को डिकोड किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के वैज्ञानिकों ने चावल की बेहतर कसिमों जैसे- पूसा बासमती -1 और पूसा बासमती -1121 को विकसित करने के लिये जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया, जो वर्तमान में भारत के चावल नियात में काफी हद तक शामिल है। इसके अंतर्गत कई ट्रांसजेनिक कसिमें भी विकसित की गई हैं, जिनमें कीट प्रतिरोधी कपास, शाकनाशी सहित सोयाबीन और विषाणु प्रतिरोधी पपीता भी शामिल है। **अतः 1 सही है।**
- पारंपरिक प्रजनन में पादप प्रजनक अपने खेतों की छानबीन करते हैं और उन पौधों की खोज करते हैं जो वांछनीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये लक्षण उत्परविरतन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अचानक उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्परविरतन की प्राकृतिक दर बहुत धीमी और अवशिष्टसनीय होती है तथा इसमें उत्परविरतन संबंधी लक्षणों की उत्पत्ति के लिये इन पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि जीनोम अनुक्रमण में कम समय लगता है, इस प्रकार यह अधिक बेहतर है। **अतः कथन 2 सही है।**
- मेज़बान-रोगजनक अंतःक्रिया को परभिति किया जाता है कि कैसे आणविकि, सेलुलर, जीव या जनसंख्या स्तर पर रोगाणुओं या वायरस मेज़बान जीवों के भीतर खुद को बनाए रखते हैं। जीनोम अनुक्रमण फसल के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम के अध्ययन को सक्षम बनाता है, इस प्रकार यह रोगजनकों के अस्तित्व या प्रजनन क्षेत्र को समझने में सहायता करता है। **अतः कथन 3 सही है।**

अतः विकल्प (D) सही है।

स्वरोतः द हट्टू

## जलवायु परविरतन पर ब्रैकिस की उच्च स्तरीय बैठक चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रयावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्री ने 13 मई, 2022 को वरचुअल रूप से आयोजित **ब्रैकिस** की उच्च स्तरीय बैठक में हसिसा लिया, जहाँ उन्होंने जलवायु परविरतन को संयुक्त रूप से संबोधित करने, नमिन कारबन तथा अनुकूलन संक्रमण में तेज़ी लाने वाले दृष्टिकोणों की खोज और सतत तथा विकास करने के लिये फोरम की प्रासादिकता को रेखांकित किया।

- बैठक की अध्यक्षता पीपुल्स रपिब्लिक ऑफ चाइना ने की थी और इसमें ब्रैकिस देशों- ब्राज़ील, रूस, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रयावरण मंत्रियों ने भाग लिया था।

## बैठक की मुख्य विषेषताएँ:

- भारत ने अपने संबोधन में सावधानीपूर्वक खपत और अपशिष्ट में कमी पर आधारित स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा देने सहित मज़बूत जलवायु कारबवाई के लिये भारत की प्रतिविवरण को रेखांकित किया।
- भारत वर्तमान में अक्षय ऊर्जा, स्थायी वास, अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से कारबन सक्ति नियमाण, सतत परविहन में परविरतन, ई-मोबालिटी, जलवायु प्रतिविवरण एवं पूरण करने के लिये नज़ीर क्षेत्र को प्रोत्साहित करने आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
- भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आरंभिक विकास को अलग करना जारी रखा है।
- विकासशील देशों का जलवायु कार्यों का महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन **जलवायु परविरतन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवरक कन्वेंशन (UNFCCC)** और **पेरसि समझौते** द्वारा अनिवार्य रूप से जलवायु वित्त, पर्यावरणीय हस्तांतरण तथा अन्य कार्यान्वयन समरथन के महत्वाकांक्षी एवं प्रयाप्त

- वितरण पर नरिभर है।
- ब्राकिस देशों ने ग्लासगो नरिण्य के अनुरूप जलवायु वित्त वितरण तथा [COP 26](#) परेसीडेंसी द्वारा जारी जलवायु वित्त प्रदायगी योजना की दशा में आगे बढ़ने आशा व्यक्त की है।
- ब्राकिस पर्यावरण मंत्रालयों ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को सुदृढ़ बनाने और सहयोग की विषय वस्तुओं को व्यापक एवं गहरा बनाने के प्रति प्रतिबिधिता व्यक्त की।
- इसके अतिरिक्त इन देशों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में नीतिगत आदान-प्रदान तथा सहयोग जारी रखने पर भी सहमतजिताई।

## BRICS के बारे में:

- ब्राकिस विश्व की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।
  - ब्राटिश अर्थशास्त्री जमि ओ'नील ने 2001 में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिये BRIC शब्द का प्रयोग किया।
  - BRIC विदेश मंत्रालयों की वर्ष 2006 में पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
  - दक्षिण अफ्रीका को दसिंबर 2010 में BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने BRICS का संक्षिप्त नाम अपनाया।
- ब्राकिस दुनिया के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, यह वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्राकिस शिखिर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देशों के संघोच्च नेता द्वारा की जाती है।
- भारत 2021 के लिये अध्यक्ष था।
- वर्ष 2014 में फोर्टालेजा (ब्राज़ील) में छठे ब्राकिस शिखिर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने [न्यू डेवलपमेंट बैंक \(NDB - शंघाई, चीन\)](#) की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करने के लिये ब्राकिस आकस्मिक रजिस्ट्र व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किये।

## विगित वर्ष के प्रश्न:

नमिनलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- APEC द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1  
 (b) केवल 2  
 (c) 1 और 2 दोनों  
 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) को पहले ब्राकिस डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था।
- यह ब्राकिस राज्यों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- बैंक का मुख्यालय शंघाई (चीन) में है। अतः कथन 2 सही है।
- फोर्टालेजा (2014) में छठे ब्राकिस शिखिर सम्मेलन के दौरान ब्राकिस के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक विकास के लिये बहुपक्षीय व क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों के पुरक के लिये फोर्टालेजा घोषणा द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की गई थी।
- इसकी आरंभिक अधिकृत पूँजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसकी आरंभिक अभिदान पूँजी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसे संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से साझा किया गया था।

प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा 'फोर्टालेजा डिलेरेशन' किससे संबंधित है? (2015)

- (a) आसयिन  
 (b) ब्राकिस  
 (c) ऑईसीडी  
 (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: B

## व्याख्या:

- 2014 में छठे ब्रकिस शखिर सम्मेलन में 'फोर्टालेजा डकिलेरेशन' की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत नमिनलखिति समझौते कयि गए थे:
- 100 अरब डॉलर के कोष के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लयि समझौता; जो ब्रकिस में बुनयादी ढाँचे और सतत वकास परयोजनाओं के लयि संसाधन जुटाने के उद्देश्य से सभी ब्रकिस देशों के बीच समान रूप से धन का वातिरण करेगा।
- अलपकालकि तरलता मांगों से नपिटने के लयि 100 बलियन डॉलर के प्रारंभिक राशि के साथ ब्रकिस आकस्मिक रजिस्ट्र (CRA) की व्यवस्था की गई है। अतः वकिलप (B) सही है।

स्रोत: पी.आई.बी.

## 'SCO क्षेत्रीय आतंकवाद वरिधी संरचना (RATS)' की बैठक

### प्रलिमिस के लयि:

SCO, RATS, RATS-SCO की परषिद

### मेन्स के लयि:

SCO के साथ भारत के राजनयकि और आरथकि संबंध, SCO सदस्य देशों के साथ भारत के द्वपिक्षीय संबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की क्षेत्रीय आतंकवाद वरिधी संरचना (RATS) के तहत SCO के सदस्य देशों के बीच बैठक हुई। रूस द्वारा यूक्रेन पर अतक्रमण करने और वास्तवकि नयिंत्रण रेखा पर चीन के अतक्रमण के बाद यह भारत में इस तरह की पहली बैठक है।

- SCO-RATS बैठक में वभिन्न वैश्वकि और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतयों से नपिटने एवं सहयोग को बढ़ावा देने के एजेंडे पर चर्चा की गई है।
- भारत SCO (RATS SCO) के क्षेत्रीय आतंकवाद वरिधी संरचना की परषिद का अध्यक्ष है।

### बैठक में चर्चा के प्रमुख बहु:

- अफगानस्तान की स्थिति और तालबिन के हाथों अफगानस्तान के पतन के कारण उत्पन्न सुरक्षा चतिा इस बैठक का मुख्य एजेंडा था।
- भारत ने SCO और इसके क्षेत्रीय आतंकवाद वरिधी संरचना के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है, जो सुरक्षा एवं रक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।

## क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS):

- RATS शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का एक स्थायी नकाय है।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खलिफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा संवाद सुवधा प्रदान करना है।
- SCO-RATS का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है।
- एक सदस्य के रूप में भारत ने SCO-RATS की गतिविधियों में सकरयि रूप से भाग लयि है।
- भारत की स्थायी सदस्यता इसे अपने पराप्रेरक्ष्य के लयि सदस्यों के बीच अधिक समझ वकिसति करने में सक्षम बनाएगी।

### शंघाई सहयोग संगठन:

#### परचिय:

- SCO वर्ष 2001 में बनाया गया था।
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को वशिल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चिति करने और स्थरिता बनाए रखने के लयि एक बहुपक्षीय संघ के रूप में स्थापति कयि गया था।
- यह उभरती चुनौतयों एवं खतरों का मुकाबला करने और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतकि तथा मानवीय सहयोग के लयि सेनाओं के शामलि होने की परकिलपना करता है।
- वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूरव कजाखस्तान, चीन, करिगजिस्तान, रूस और ताजकिस्तान 'शंघाई-5' नामक संगठन के सदस्य

थे।

- वर्ष 1996 में 'शंघाई-5' का गठन वसिन्यीकरण वारता की शृंखलाओं के माध्यम से हुआ था, चीन के साथ ये वारता चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा सीमाओं पर स्थिति की स्थितिबनाए रखने के लिये की गई थी।
  - वर्ष 2001 में उज्बेकस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद 'शंघाई-5' को SCO नाम दिया गया।
  - SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ। रूसी एवं चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
  - SCO के दो स्थायी नियम हैं:
    - बीजिंग में SCO सचिवालय।
    - ताशकंद में कषेत्रीय आतंकवाद वरिष्ठी संरचना (RATS) की कार्यकारी समतिः।
- **सदस्य देश:** कज़ाखस्तान, चीन, करिग़ज़िस्तान, रूस, ताजकिस्तान, उज्बेकस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- हाल ही में इस संगठन में ईरान को शामिल करने की मंजूरी दी गई है।

## स्रोत: द हॉट्स

### कंपनी अधनियम में संशोधन

#### प्रलिमिस के लिये:

कंपनी अधनियम, 2013, कंपनी लॉ कमेटी (CLC)।

#### मेन्स के लिये:

कंपनी अधनियम में प्रस्तावित संशोधन।

### चर्चा में क्यों?

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में कंपनी अधनियम में संशोधन प्रस्तावित करने पर विचार किया जा रहा है।

- मंत्रालय को **कंपनी लॉ कमेटी** द्वारा की गई इन सफारियों पर विशेषज्ञों तथा पेशेवरों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसने **अप्रैल 2022** में अपनी रपोर्ट दी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री को सौंपी थी।

### प्रमुख प्रस्ताव:

- इससे कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रतिबंध बढ़ाने की उम्मीद है, विशेष रूप से बोर्ड पदों के लिये भर्ती और लेखा परीक्षकों एवं शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे से संबंधित मामलों को संभालने के लिये।
- इसके प्रमुख प्रस्तावों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि स्वतंत्र नियंत्रक वास्तव में स्वतंत्र हों और कंपनियाँ इनके लिये अधिक प्रदर्शी हों।
- यह कुछ प्रकार की कंपनियों के लिये अनिवार्य संयुक्त ऑडिट सहित कानून में कई बदलाव करके वैधानिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है।
- कंपनी अधनियम में प्रस्तावित प्रविरतनों का उद्देश्य सुशासन के पथ-प्रदर्शकों को मजबूत करना है, स्वतंत्र नियंत्रकों और लेखा परीक्षकों ने कंपनी के मामलों में अधिक प्रदर्शन का संचार किया है तथा कंपनियों को **व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business)** में सुधार के प्रयासों के तहत आंशिक शेयर और रियायती शेयर जारी करने की अनुमति दी है।
  - कंपनी अधनियम के तहत वर्तमान में प्रतिबंधित आंशिक शेयरों का मुद्रा खुदरा नियंत्रकों को उच्च मूल्य वाले शेयरों तक पहुँचने में मदद करेगा, जबकि रियायती शेयर संकट में एक कंपनी को ऋण को इकट्ठी में बदलने की अनुमति दी जाएगी।
- कॉरपोरेट कषेत्र में कुछ दिवालिया कंपनियाँ, विशेष रूप से बड़ी गैर-बैंक वित्तीय कंपनियाँ, जिन्होंने पछिले कुछ समय में गंभीर वित्तीय कठनाइयों का सामना किया है, ने सरकार को इनमें से कुछ प्रविरतनों पर विचार करने के लिये प्रेरित किया है।

### भारतीय कंपनी अधनियम:

- भारतीय कंपनी अधनियम संसद का एक अधनियम है जिसे वर्ष 1956 में अधनियमति किया गया था। यह कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है, कंपनियों, उनके कार्यकारी नियंत्रक और सचिवों की ज़मिमेदारियों को नियंत्रित करता है।
- वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधनियम 1956 में संशोधन किया और एक नया अधनियम जोड़ा जिसे भारतीय कंपनी अधनियम, 2013

कहा गया ।

- कंपनी अधनियम, 1956 को आंशकि रूप से भारतीय कंपनी अधनियम 2013 द्वारा प्रत्यस्थापित किया गया था ।
  - यह एक अधनियम बन गया और अंततः यह सितंबर 2013 में लागू हुआ ।

- वर्ष 2020 में भारत की संसद ने कंपनी अधनियम में और संशोधन करने तथा वभिन्न अपराधों को कम करने के साथ-साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिये कंपनी (संशोधन) वधियक, 2020 पारित किया ।
  - प्रस्तावित परवर्तनों में कुछ अपराधों के लिये दंड में कमी के साथ-साथ अधिकारों के मुद्दों के संदर्भ में समयसीमा [कॉर्पोरेट सामाजिक ज़मिमेदारी \(सीएसआर\)](#) अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और [राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण \(एनसीएलएटी\)](#) में अलग बैच की स्थापना भी शामिल है ।

## कंपनी अधनियम 2013 की वशिष्टताएँ:

- यह कंपनी के नगिमन, कंपनी की ज़मिमेदारियों, निश्चकों और कंपनी के वधिटन को नियंत्रित करता है ।
- इसे 29 अध्यायों में वभाजित किया गया है जिसमें पूर्व कंपनी अधनियम, 1956 में 658 धाराओं की तुलना में 470 धाराएँ हैं और इसमें 7 अनुसूचियाँ हैं ।
- इसमें अधिकितम 200 सदस्य हैं, पहले नजी कंपनियों में सदस्यों की अधिकितम संख्या 50 थी ।
- इस अधनियम में 'एक व्यक्तिकंपनी' (One Person Company) न्या शब्द शामिल किया गया है ।

## स्रोत: मटि

---

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/21-05-2022/print>

